

## क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

उप-लेखा कार्यालय थाने,  
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय  
मॉडर्न हाइसींग एण्ड स्टोरेज क. कंपनी

## OFFICE OF THE REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

भविष्य निधि भवन, 341, बांद्रा (पूर्व) बम्बई-400 051

Bhavishya Nidhi Bhavan, 341, Bandra (East), Bombay-400 051

सं./महा/भ.नि./प्रयोज्यता  
No. MH/PE/APP/

95260/ENH/2011E X/136

दिनांक

Date: 2.6.94

सेवा मे

To

Excel Hydro Pneumatics (P) Ltd  
SI, first floor Raja Ind. estate  
PK. Road, Mulund (W) By 20.

विषय :— कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 और उसके अधिन बनाई गई योजना-इसकी प्रयोज्यता-संकेत संख्या का आवंटन।  
Sub : Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provision Act, 1952 and the scheme framed thereunder—applicability thereof—Allotment of code number.

महोदय,  
Sirs,

1. आपकी फैक्ट्री/स्थापना उसकी सभी शाखाएँ और विभागों के साथ दि—से कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 और उसके अधिन बनाई गई योजना के प्रविधान खण्ड में समाविष्ट की गई है। उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार यह प्रकट होता है कि :—

1. Your factory/establishment with all its branches and departments is brought within the purview of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and the scheme framed thereunder with effect from.....The information made available reveals that— 15.94

(1) आपकी फैक्ट्री अनुसूची 1 में उल्लिखित उद्योग—का कार्य करती है जिसपर अधिनियम की धारा 1 (3) के अधिन कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 लागू होता है।

(i) Your factory is engaged in .....one of the Industries specified in Schedule I to which the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 is applicable under Section 1 (3) (a) of the Act.

2. आपकी स्थापना—के लिए वर्गीकृत की गई है जिसपर अधिनियम की धारा 1 (3) (बी) के अधिन भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 लागू किया है।

(ii) Yours is an establishments classified as.....to which the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 has been made applicable by the Government of India by a Notification issued under Section 1 (3) (b) of the Act.

3. आपकी फैक्ट्री/स्थापना जो कार्य करती है वह अनुसूची 1 में उल्लिखित उद्योग में तथा अधिनियम की धारा 1 (3) (बी) के अनुसार भारत सरकार द्वारा अनुसूचित स्थापनाओं के वर्ग में अन्तर्भूत नहीं है। अतः आपकी स्थापना को असूचित माना गया है।

(1-क) जाँच पडताल/उपलब्ध सूचना के आधार पर व्याप्ति तत्कालिक स्वरूप की है; लेकिन इस शर्त पर कि आपके पूर्व अवधि के प्रलेख सत्यापित हो जाए।

(1-A) The coverage is provisional on the basis of enquiries made/information available and is subject to further verification of your records for prior periods.

(1-ख) अधिनियम की धारा (1) (4) के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 के स्वच्छिक रूप से विस्तार के सम्बन्ध में प्राप्त आपके आवेदन सं. — दि. — के सन्दर्भ में कर्मचारी भविष्य निधि प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुये भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने तक आपकी स्थापना की तात्कालिक रूप से दि. — से, व्याप्ति करके उसके लिए एम्एन्/— यह संकेत संख्या नियत की गई है।

(1-B) With reference to your application No..... Dated..... received for extension of Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 under section 1 (4) of the Act, on a voluntary basis, a code number is hereby allotted to your establishment namely MH/95260.....provisionally covering your establishment with effect from.....pending issue of a notification by the Government of India in exercise of the powers conferred on them by sub-section (4) of section 1 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952.

13. यह सुनिश्चित किया जाए कि निधि की देय राशी निर्धारित समय में भरती है। विलंबित अदायगी कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपकरण अधिनियम की धारा 14-बी के अनुसार सौ प्रतिशत क्षतिमूल्य के लिए उत्तरदायी होगी।

13. It is important to ensure that the amount due to the Fund is paid within the prescribed time limit. Delayed payments are liable to damages upto hundred per cent of the arrears as provided in Section 14-B of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952.

14. इसके अतिरिक्त देयता की अदेनगी तथा बिबरणियों की अ-प्रस्तुति के लिए अभियोग भी लगाया जाएगा।

14. Besides, Prosecution could also lie for non-payment of dues and for non-submission of returns.

15. इस कार्यालय के निरीक्षक आपकी स्थापना को भेट देगे। इसलिए आपसे निवेदन है की उन्हे आवश्यक सहयोग दे। तथापि, अगर आपको कोई कठिनाई महसूस हो या आप किसी प्रकार के मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते हैं; तो इस कार्यालय को या निम्नलिखित पते पर भविष्य निधि निरीक्षक को लिख सकते हैं।

15. An Inspector of this office will be visiting your establishment. You are requested to please afford him necessary co-operation. However, if you experience any difficulty or desire any guidance, you may please write to this office or the Provident Fund Inspector whose address is given below.

श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_

भविष्य निधि निरीक्षक

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

भवदीय,

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त,  
महाराष्ट्र तथा गोवा.


Provident Fund Inspector

R. R. Bhalerao

EP

Please acknowledge receipt of this communication.

Yours faithfully,



Regional Provident Fund Commissioner,  
Maharashtra and Goa.

( पी. डी. साँखला )

( P. D. SANKHALA )

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

Regional P. F. Commissioner,

महाराष्ट्र तथा गोवा Maharashtra & Goa

उपलेखा कार्यालय, बाले Sub-Accounts, Office, Thane-400 602